ज्ञापांक 408 / पी–1
4–09–25–2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार।
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)।

पटना, दिनांक :– 20.09.18

विषयः– सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग से पुलिस निरीक्षक संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों के दोबारा पदस्थापन नहीं करने के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि दिनांक–12.09.2018 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपराध एवं विधि–व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि कई पदाधिकारी किसी खास जिला / इलाका में दोबारा पदस्थापित हो कर कार्यरत हैं। राज्य पुलिस में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, कार्य कुशलता एवं बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग से पुलिस निरीक्षक संवर्ग तक के पुलिस पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के क्रम में निम्नांकित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कोटि के पदाधिकारी को जिले के किसी आउट पोस्ट, थाना एवं अंचल कार्यालय में दोबारा पदस्थापित नहीं किया जाय। यदि कोई पदाधिकारी उक्त तीनों में दोबारा पदस्थापित हो तो अविलम्ब उसका पदस्थापन अन्यत्र कर अनुपालन किया जाय तथा भविष्य में भी इसका पालन किया जाय।
2. इसी प्रकार, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक उक्त कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के क्रम में सुनिश्चित करेंगे कि कोई पदाधिकारी पूर्व में जिस जिला में पदस्थापित रहा है, उस जिला में उसका पदस्थापन दोबारा नहीं हो। यदि वर्तमान में कोई पदाधिकारी किसी जिले में दोबारा पदस्थापित है अथवा जिलावधि पूर्ण कर चुका हो तो उनका किसी अन्य जिले में अविलम्ब स्थानान्तरण सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में भी इसका पालन किया जाय।
3. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्रावधि पूर्ण उक्त कोटि के पदाधिकारियों का अविलम्ब अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण करते हुए पदस्थापन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वर्तमान में यदि कोई पदाधिकारी किसी क्षेत्र के जिला में दोबारा पदस्थापित है और उसका क्षेत्रावधि पूर्ण है तो उनका किसी अन्य क्षेत्र में अविलम्ब स्थानान्तरण सुनिश्चित किया जाय।

कृत कार्रवाई से दिनांक–04.10.2018 तक पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

20/9/2018
अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि –

अपर पुलिस महानिदेशक, रेल / अपराध अनुसंधान विभाग / विशेष शाखा को सूचनार्थ एवं समरूप कार्यवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2018
अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय),
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner